

108

# टिकीरउपलव्यगीह

राजस्व पुनरीक्षण कमांक :

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, केम्प इन्दौर के समक्ष  
R 3739/2018 इंदौर (अ.र.)

श्री कापूरसिंह शर्मा,  
अ.र. 19-6-18 का  
इलाहाबाद/अ.र. 19-6-18 का

चंदर पिता अमरसिंह चर्मकार  
उम्र 30 वर्ष, धंधा कृषि व मजदूरी  
निवासी ग्राम झलारिया, तहसील इन्दौर

— प्रार्थी

## विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम झलारिया,  
प.ह.नं. 39, तहसील इन्दौर

— प्रतिप्रार्थी

## वाद अतिक्रमण बाबद

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

श्री डी.डी. शर्मा, अपर तहसीलदार, तहसील इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क. 15-अ-68/17-18 में पारित प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 08.06.2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर नियत अवधि में योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत करता है -

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

चन्दर / शासन

प्रकरण क्रमांक. निगम:

2018/

श.श.  
जिला

इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-18	<p>आवेदक आशिवरता श्री कपिल यादव उपाधित । उन्हें ग्राह्यता पर बुलाया। अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 8-6-18 का तत्प- रित लिपि का अवलोकन किया जिससे आवेदक को जबाब उस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है। अतः न्यायदित में तहसील न्यायालय में आवेदक आगामी पेशी पर अनिवार्य रूप से जबाब के साथ उपाधित हो। आवेदक तहसील न्यायालय में दिनांक 17-7-2018 को उपाधित हो। इस निर्देश के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>

